FROM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मुकाम जोधपुर

बनाम

वादीगण:– अभयप्रकाश

प्रतिवादीगण:– नगर सुधार न्यास जो.

मुकदमा नम्बर 267/2007

किस्म मुकदमा 188 आर.टी.एक्ट.

आदेश दिनांक 17.03.2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
17.03.2020	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वकुलाय पक्षकारान् उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 02 विद्वान अधिवक्ता की ओर से एक प्रार्थना–पत्र बाबत् उपशमन के आधारित वाद को खारिज करने का पेश करते हुए तर्क दिया कि वादी ने खसरा नम्बर 1749/2 की रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा भूमि के खातेदारी आड़ को लेकर नगर सुधार न्यास को मुकदमा पक्षकार बनाते हुए गलत तथ्यों पर 188 का वाद पेश किया गया है। भूमि होलिका चौक के उपयोग व उपभोग की रही है। प्रत्यक्ष प्रभावित व्यक्ति को मुकदमा विचारण की जानकारी होने पर नारायणसिंह की ओर से प्रार्थना 1 नियम 10 सीपीसी के तहत दिनांक 26.2.2002 को वाद में पक्षकार बनाने का पेश किया है। जिसे स्वीकार करते हुए दिनांक 30.04.2002 को पक्षकार बनाया गया है जिसकी चुनौती माननीय राजस्व मण्डल में दी गई जिसे मण्डल ने दिनांक 05.09.2012 को याचिका खारिज करते हुए आदेश यथावत रखा गया है। नारायणसिंह को मुकदमा पक्षकार बनाये जाने का श्रीमान् के न्यायालय के आदेश दिनांक 30.04.2002 की पालना नहीं की गई जिसका समय लगभग 18 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है ऐसे में वादी का वाद उपशमन पर आधारित होने से खारिज योग्य है तथा नगर सुधार न्यास का भी अस्तित्व वर्ष 2008 में में समाप्त हो गया था जो सर्वविधित है इस प्रकार अस्तित्व समाप्त हो जाने से नगर सुधार न्यास के विरूद्ध वादी का वाद अबेट उपशमन हो चुका है। ऐसी स्थिति में वाद खारिज फरमाया जावें। हमने प्रस्तुत मूलवाद, प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं उस पर की गयी बहस एवं बहस के दौरान दिये गये तर्को का अध्ययन कर विचार किया गया। इस न्यायालय में नारायणसिंह की ओर से एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का पेश किया गया था जिसमें न्यायालय द्वारा उसे स्वीकार कर प्रतिवादी के रूप में पक्षकार संयोजित करते हुए आदेश दिनांक 30.04.2002 को पारित किया था। जिसका रिवीजन माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में वादी द्वारा किया गया था जिसे माननीय मण्डल ने दिनांक 05.09.2012 को रिवीजन याचिका को निरस्त कर दिया गया। उसके पश्चात् वादी की ओर से नारायणसिंह को प्रतिवादी के रूप में पक्षकार संयोजित नहीं किया गया जिसे लगभग 18 वर्ष व्यतीत हो चुके है। इसके अलावा नारायणसिंह का देहान्त दिनांक 17.02.2018 को हो चुका जिनके कायम मुकाम की कार्यवाही भी वादी अधिवक्ता द्वारा नहीं की गयी है। न्यायालय में प्रतिवादी नारायणसिंह की फौत होने की इतला भी दिनांक 28.08.2018 को	

Scanned by CamScanner

न्यायालय की आदेशिका पर इन्द्राज है जिसके बावजूद भी वादी ने कायम कायम मुकाम की कार्यवाही एवं संशोधित वाद शीर्षक की कार्यवाही अमल में नहीं लायी गयी तथा मूल रूप से प्रतिवादी संख्या 1. नगर सुधार न्यास को वर्ष 2008 से अस्तित्व समाप्त होने के बावजूद इस सम्बंधं में भी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लायी गई है। ऐसी अवस्था में वादी का वाद पूर्णतया पक्षकारों के अभाव में अबेट हो चुका है। फलस्वरूव वादी का वाद अबेट होने से खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 17.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फेसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
जोधपुर

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Singh Rathore
Date: 2020.03.20 11:03:19 IST
Reason: SelfAttested
Location: